न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 61/2013 **RCMS 2013/00056**

वादी

1. चेताराम गोदपुत्र रूगनाथ/रूघनाथ जाति भांबी मेघवाल साकिन दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बेगाराम पुत्र कानाराम उम्र 63 वर्ष जाति मेघवंशी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– गंगा पत्नी बेगाराम
   1/2– भंवरलाल पुत्र बेगाराम
   1/3– बिदामी पुत्री बेगाराम
   1/4– मन्जू देवी पुत्री बेगाराम
   1/5– राधा पुत्री बेगाराम
   1/6– सन्तोष पुत्री बेगाराम
   1/7– रामप्यारी पुत्री बेगाराम
2. रामस्वरूप पुत्र कानाराम उम्र 62 वर्ष
3. सांवरमल पुत्र कानाराम उम्र 61 वर्ष
4. लिछमा पुत्री कानाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी पांचवा रोड़ दीपपुरा
5. नन्दाराम पुत्र राजू जाति रेगर निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर नागौर
7. उप पंजियक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी

दावा पत्र बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती,शून्य घोषित करने बेचान दिनॉक 30.11.1967 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, धारा 92, धारा 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5 की की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 25/3/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

वाद का सार संक्षेप में इस प्रक[illegible] कि ग्राम खारिया क्षेत्र के नये घोषित राजस्व ग्राम दीपपुरा [illegible] का रेकर्डेड कब्जे व खातेदारी सुदा कृषि भूमि पुराना खसरा [illegible] बीघा १/२ बीघा बारानी [illegible] स्थित है, जिसके लिए जमाबंदी सम्वत 2008 से 2026 की नकल प्रस्तुत की [illegible] द्वितीय सेटलमेंट के दौरान ग्राम खारिया के नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा में खसरा नम्बर 7 के नये खसरा नम्बर 24 रकबा 7.74 हैक्टर चाहकी द्वितीय व जाव, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.20 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा

नम्बर 43 रकबा 5.90 हैक्टर चाही द्वितीय व जाव, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.15 हैक्टर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नम्बर 327/1 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 14.04 हैक्टर कायम किये गये है। राजस्थान टेरिटोरियल डिविजन आर्डिनेन्स 1949 के लागू होने से पूर्व ग्राम खारिया की 87 बीघा 7 बिस्वा भूमि आराजी के 1/4 हिस्से पर वादी के पूर्वज क्रमशः बगसा, रूगनाथ, अमरा के कब्जा काश्त में रही एवं संयुक्त परिवार हिन्दू के रूप में कृषि कार्य कर बाजरा, मोठ, ग्वार कृषि उत्पाद व प्राकृतिक उत्पाद लूंग, पाला आदि उपयोग में लेते तथा उक्त कृषि भूमि का हासल तत्कालीन जागीरदार को अदा करते रहे बाद जीगरदार पुर्नग्रहण के पश्चात उक्त कृषि भूमि का लगान द्वारा राज्य सरकार को जमा करवाते और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की दिनॉक 15 अक्टूबर 1955 के दिन भी बतौर अभिधारी निरन्तर कब्जा काश्त चला आने के कारण विधि प्रभाव से स्वतः उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो गए जिससे सम्वत 2008 से 2026 में वादी के गोद पिता रूगनाथ वल्द बगसा जाति भांबी साकिन कुचामन के हक में अंकन है तथा गिरदावरी सम्वत 2020 में रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है, बक्साराम, रूगनाथ (रूघनाथ), अमराराम की सहदायिक निम्नवत है :–

बक्साराम (मृत) पिता

रूगनाथ(रूघनाथ) (मृत)(पुत्र)
अणचीदेवी (मृत) पुत्र वधू
चेताराम(गोद पुत्र) वादी

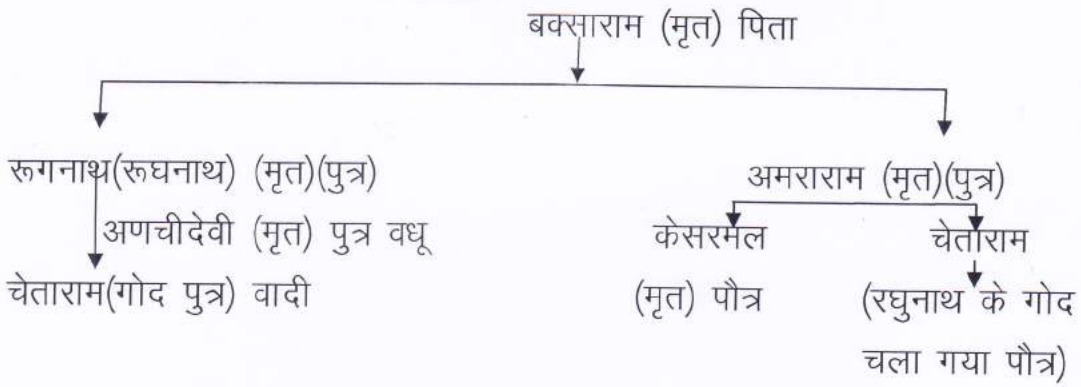

अमराराम (मृत)(पुत्र)
केसरमल (मृत) पौत्र
चेताराम (रघुनाथ के गोद चला गया पौत्र)

वादी के पूर्वज बक्साराम के उत्तरजीवी दो पुत्र रूगनाथ और अमराराम थे और परिवार में बड़े पुत्र रूगनाथ (रूघनाथ) की पत्नी का नाम अणची देवी था जिनके संसर्ग से औलाद उत्पन्न नही हुई थी तथा छोटे पुत्र अमराराम के दो जीवीत पुत्र केसरमल व चेताराम उत्पन्न हुये तदुपरान्त निरन्तर प्रचलित सामाजिक प्रथा अनुसार दत्तक होम समारोह आयोजन कर रिश्तेदार [illegible] समाज की महिलाओ द्वारा मंगल गीत व भजन गाये गये और [illegible] पिता से सहमति होकर गोदग्रहिता माता केसर देवी व पिता [illegible] गोद में बैठा दिया जिन्होने वादी को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर जायन्दा [illegible] के रूप में ग्रहण कर लिया और उपस्थित परिवार के रिश्तेदारो व समाज के पुरूषो व महिलाओं को गुड़ पतासे बंटवाये बहिन बेटियो को सीक स्वरूप भेंट दी गई तदुपरान्त यह तथ्य बचपन से ही वादी को गोदग्रहिता माता केशर देवी बचपन से ही बताती रहती थी, वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

गोदग्रहिता पिता रूगनाथ(रूघनाथ) की वादी की बाल्यवस्था मे ही दिनॉक / / 67 को मृत्यु हो जाने के बाद गोदग्रहीता माता अणचीदेवी ने क्षेत्र में भांबी (मेघवाल) समाज में तत्समय प्रचलित सामाजिक प्रथा के कारण अपने पति के भाई अमराराम से चुड़ी पहन ली अर्थात पुर्न विवाह कर लिया ओर अपने वादी गोदपुत्र को अपने साथ रख लिया था, इस दौरान दुर्भाग्यवश अमराराम के पुत्र केसरमल की भी नाबालिग अवस्था में आकस्मिक मृत्यु हो गई तब अमराराम के कोई जीवित पुत्र नही होन और अमराराम का वादी नैसर्गिक पुत्र होने के कारण प्राकृतिक स्नेहवश अपने साथ रख लिया और वादी को पढ़ाया लिखाया, वस्तुतः वादी अपने दत्तक पिता रूगनाथ (रूघनाथ) के गोदपुत्र की हैसियत से विधि प्रभाव से जन्म से ही काबिज वारिस हो गया। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के तहत भी वादी चेताराम, रूगनाथ के भाई अमराराम का पुत्र होने के नाते भी रूगनाथा की समस्त जायदाद का अधिकारी हो गया रूगनाथ की पत्नी अणचीदेवी ने भी अमराराम के साथ पुर्नविवाह कर लिया तथा उसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा ऐसी परिस्थिति में चेताराम, रूगनाथ के पूर्ण रक्त सम्बन्धी भाई का पुत्र होने के नाते भी एकमात्र कानूनी वारिस है। वादग्रस्त खसरा 7 वर्तमान खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 46, 337/21 रकबा 14.04 हैक्टर के राजस्व अधिकार अभिलेख में 1/4 हिस्से के रूप में रूगनाथ के हक में सम्वत 2011 से 2014 व 2019–2022 में प्रविष्टि दर्ज है साथ ही भू–प्रबन्धक द्वारा जारी की गई 20 साला खतौनी जमाबंदी 2018 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति जिला भू–अभिलेख विभाग सदर कानूनगो नागौर से उक्त पन्ने फट्टे होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई, रूगनाथ पुत्र बगसा अपने सहदायिकों के जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज रहे रूगनाथ के फौतगी के समय वादी नाबालिक था हिन्दू उत्तराधिकार विधि के तहत वादी सहदायिक की हैसियत से उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज हुआ और उक्त कृषि भूमि के विधि प्रभाव से स्वतः खातेदार कृषक हो गया तथा समस्त प्रकार के खातेदारी अधिकार निहीत हो चुके है, वादी एवं उसके पिता को प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त अनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण पंजिका में प्रविष्टि संख्या 13 दिनॉक 23.06.1962 के द्वारा खसरा नम्बर 7 की भूमि 25 बीघा भूमि राजू वल्द उदा, 20 बीघ घीसा वल्द भैरू, 25 बीघा जीवा वल्द उदा के नाम अंकित कर दी गई बाकी कृषि भूमि का कोई विवरण अंकित नही दिया है उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही वादी के हितो के प्रतिकूल होने से void ab initio void है। उक्त राजस्व अभिलेख जमाबंदी की वादी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ली गई उसमें एक और नोट इन्द्राज दर्शाया गया है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 158 के अनुसार राजू पुत्र उदा रेगर पूरे खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा दर्ज कर दिया गया, आक्षेपित नामान्तरकरण पंजिका पंजिका ग्राम खारिया प्रविष्टि संख्या 158 की दो प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त हुई है एक दिनॉक 30.07.1965 की जिसमें तेजा नन्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

भगवतसिंह एवं किशन आदि की खसरा नम्बर 64 99 90 108 का हस्तानान्तरण सुल्तानसिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्शायी गई है दूसरी नकल दिनॉक 27.12.1965 की जिसमें नामान्तरकरण पंजिका प्रविष्टि संख्या 133 को काटकर 158 जोड़ा गया है उसमें कॉलम नम्बर 5 में कबु पुत्र मेगा नाई निवासी खारिया की खातेदारी खसरा नम्बर 229 रकबा 11 बिस्वा राजू पुत्र अदा, घीसा पुत्र भरन, जीवा पुत्र अदा रामदेव की ८७ बीघा १/२ बीघा दर्शाई गई है, इस नामा. पंजिका के कॉलम संख्या 11 में सुल्तानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी खारिया राजू पुत्र उदा 67 बीघा 7 बिस्वा का घीसा पुत्र भैरू 20 बीघा हस्तानान्तरण दर्शाया गया है जो देखने मात्र से भिन्न भिन्न हस्तलिपि में होना भी साबित होता है तथा वादी के पिता की काफी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी फलतः आक्षेपित नामान्तरकरण कार्यवाही आपस में विरोधाभाषी है जो बिना किसी दस्तावेज के हेरा फेरी हुई है,नामा. सं. 158 का इन्द्राज जन्म से ही गलत एवं ab-initio-void है, राजस्व नियम अनुसार यह सिद्वान्त है कि पश्चातवर्ती राजस्व अंकन प्रविष्टि के आधार पर ही नवीन रेकर्ड जमाबंदी दर्ज की जाती है, वादी के पिता ने उपरोक्त भूमि का अन्तरण कभी भी राजू वल्द उदा एवं प्रतिवादी सं. 1 को कतई नही किया, आक्षेपित नामा. 158 भी खसरा नम्बर 7 से सम्बन्धित नही है इसलिए वादी रेकर्ड दुरूस्ती कराकर खातेदारी अधिकार घोषित कराये जाने के मुश्तहक है। राजू वल्द अदा तत्तकालीन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से चालाकी से दुसंधीपूर्ण साठ गांठ में आगे बढकर उपर्युक्त ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 7 का पुरा रकबा राजू ने प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पति कानाराम वल्द दुलाराम व प्रतिवादी संख्या 1 को उप पंजीयक नावां के कार्यालय के क्रम संख्या 444 पृष्ठ संख्या 79-80 वोल्यूम 14 रजिस्टर बुक नम्बर 1 रजिस्ट्रेशन दिनॉक 23.7.1969 को विक्रय कर दिया, तदुपरान्त नामा. सं. 201 दिनॉक 09.06.1968 के द्वारा कानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी दर्ज की गई जबकि आक्षेपित बेचाननामा में उल्लेखित पड़ौस बीच बेचानकर्ता का वैध कब्जा काश्त व खातेदारी कभी अवस्थित ही नही रही। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम खारिया के गत खसरा नम्बर 7 नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा की सरहद के खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 327/21 कुल रकबा 14. 04 हैक्टर में से 1/4 हिस्से के खातेदार अभिधारी रूगनाथ उर्फ रूगनाथा पुत्र बकसा भांभी (मेघवाल) साकिन कुचामनसिटी ... खातेदारी अधिकार हक की कृषि भूमि में वादी के काबिज खातेदार ... प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्व सादिर फरमाई जावें चूंकि ... बगैर कब्जा के ऐनसिलेरी रिलीफ की डिक्री के पारित नही की जा सकती अतः ऐन्सलेरी अनुतोष के अधीन कब्जा प्राप्त बाबत निवेदन है कि वादी के उक्त खातेदारी हक हिस्से की 1/4 कृषि भूमि का कब्जा भी प्रतिवादीगण से दिलवाया जाने की डिक्री सादिर फरमावे। आक्षेपित बेचाननामा दिनॉक 23.7.69 शून्य घोषित फरमावे, नवीन खसरा नम्बर 25

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

25 26 43 45 327/21 में रेकर्ड दुरूस्ती के तहत वादी के हक हिस्से तक की कृषि भूमि से प्रतिवादीगण के 1 ता 5 का नाम हटाया जाकर वादी के हक में घोषणार्थ राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी आदि में अमल–दरामद किये जाने से प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को आदेश जारी किये जावें तथा विक्रय विलेख शून्य घोषित कर प्रतिवादी संख्या 7 को उक्त आशय का अंकन उक्त बेचान से संबंधित पंजीयन रेकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्व पारित की जावें। प्रतिवादी 1 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने से उसके वारिसान 1/1 से 1/7 को रिकार्ड पर लिया गया, प्रतिवादी सिणगारी पत्नी कानाराम का दौराने वाद इंतकाल हो जाने से उसके स्थान पर पहले से कायम मुकाम रेकार्ड पर होने से सिणकारी को पक्षकार हटाया गया, प्रतिवादी संख्या 1/2, 2, 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादी 1/1, 1/3 से 1/7, 4, को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से मिलान क्षेत्रफल की प्रति, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027, 2046–2065 की नकल, ग्राम दीपपुरा, जमाबंदी नकल सम्वत ग्राम खारिया 2011–2014, 2019–2022, 2023–2026, 2027–2030, 2034–2037, 2038–2041, 2067–2070, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम दीपपुरा, नक्शा ट्रेस की नकल, नामा. संख्या 13, 161, 201,155 की नकल, बेचान दस्तावेज दिनॉक 30.11.1967 की नकल, प्रस्तुत की। दौराने वाद माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना की अपील संख्या 54/2011 श्रवणलाल बनाम तहसीलदार नावां बेगाराम वगैरह में नामा. सं. 158 दिनॉक 27.12.1965 में पारित आदेश 15.04.2015 की नकल प्रस्तुत की तथा चेताराम पुत्र रूघनाथराम जाति मेघवंशी उम्र 62 वर्ष निवासी [illegible]लाल उर्फ रामसिंह पुत्र जीवाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी [illegible] नोटेरी पब्लिक प्रेमसिंह बीका से सत्यापित मुख्त्यार नामा [illegible] मूल प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी की ओर से सहायक [illegible] प्रकरण संख्या 427/83 में पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश दिनॉक 06.01.1984 की [illegible]माणित प्रति प्रस्तुत की, नामा. सं. 624 की नकल, मतदाता सूची 2005 की नकल, चेताराम के जन्म का दस्तावेज की नकल, नगरपालिका द्वारा जारी भूखण्ड आवंटन आदेश दिनॉक 56.10.1985 की नकल प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य परीक्षण में साक्ष्य वादी चेताराम की ओर से जरिये आम मुख्त्यार श्री श्रवणलाल पुत्र जीवाराम रेगर कुचामनसिटी का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिनमें श्रवणलाल से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी को मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नही करने पर अवसर बन्द किया गया।

प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि सम्वत 2010 से खसरा नम्बर 7 की 17 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि की खातेदारी बगसा, रूगनाथ अमरा की कतई नही थी, उक्त आराजी पर कभी बगसा रूगनाथ अमरा के संयुक्त हिन्दू परिवार का कब्क्जा काश्त नही रहा है ना ही उक्त आराजी का रूगथान वगैरह ने कभी लगान अदा किया है, वादी ने स्वयं काश्तकार होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है, सजरा खानदान मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है, बक्साराम रूगनाथ अमराराम की सहदायिक गलत है, अणचीदेवी ने वादी को दत्तक पुत्र के रूप में कभी गोद नही लिया ना ही वादी रूगनाथ व अणची का गोद पुत्र है, रूगनाथ व अणची लाऔलाद फौत हो चुके है, रूगनाथ अणची ओर अमराराम ने अपने जीवनकाल में कभी कोई उज्र ऐतराज नही किया है, वादी मिथ्या रूप से स्वयं को रूगनाथ का गोद पुत्र बताकर यह निराधार दावा किया है वादी का प्रतिवादी उत्तरकर्तागण की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई लेना देना नही है, प्रतिवादी उत्तरकर्तागण के दादा कानाराम एवं पिता बेगाराम ने तत्कालीन काबिज खातेदार राजू पुत्र उदा रेगर का कब्जा काश्त मौजूद देखा और पूर्ण सन्तुष्टि कर राजू पुत्र उदा को प्रचलित बाजार दर अदा कर बतौर सद्भाविक खरीददार रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि रजिस्टर्ड बेचान नाम दिनॉक 30.11.1967 के जरिये खरीद कर बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 201 दिनॉक 09.06.1968 के प्रविष्टि के आधार पर उक्त आराजी की जमाबंदी में निरन्तर कानाराम व बेगाराम के नाम दर्ज है, उक्त भूमि पर 1967 से प्रतिवादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, केशरदेवी अणची देवी ने अपने जीवनकाल में तथा वादी ने अपने बालिग होने के 3 साल अवधि में हस्तगत वाद प्रस्तुत नही किया, वादी को अब यह देरिना हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का कतई अधिकार नही है,वादी ने पिता का नाम रूगनाथ दर्ज किया जो एकदम गलत है, असली तथ्य यह है कि वादी के पिता का नाम अमराराम उर्फ अमरचंद है उक्त तथ्य बाबत प्रधाना[illegible]क [illegible] सूरजमल भोमराजका मा. वि कुचामनसिटी जहॉ वादी ने अध्ययन किया है [illegible] का जन्म प्रमाण पत्र तथा कार्यालय नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी द्वारा वादी चेताराम के पक्ष में व्यवसायिक भूखण्ड अभिलेख दिनॉक 26.10.1[illegible] को जारी किया गया है एवं निर्वाचक नामावली कुचामन के वार्ड संख्या 23 वर्ष 2005 मे वादी के पिता का नाम अमराराम दर्ज किया गया है, इसलिए वाद काबिल खारिज है, मौके पर वादी का कोई कब्जा काश्त नही है, राजू आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वादी ने उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

पक्षकार संयोजित नही किया है, इसलिए कानूनन वाद सन्धार्य नही होने के कारण काबिल खारिज है, प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित वाद संख्या 437/1985 को एवं बेचाननामें को सक्षम न्यायालय में चैलेंज नही किया गया है, सम्वत 2023–2026 की जमाबंदी में राजू वल्द उदा रेगर कुचामनसिटी के नाम खारिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा खाता नम्बर 133 दर्ज प्रविष्टि एवं पूरब में–झरड़ा का जाव, पश्चिम –नाथू रेगर का खेत, उत्तर– दला नानू का खेत, दक्षिण– बींजा रेगर का खेत के मध्य मौके पर कब्जा काश्त देखकर वास्तविक खातेदार काश्तकार होने की सन्तुष्टि कर राजू उदा को बहुमूल्य कीमत रूपये 6000/–रूपये काना वल्द दुलाराम, बेगराज वल्द कानाराम बलाई साकिन जिलिया ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, बेचान के आधार पर उत्तरकर्ता के दादाजी कानाराम पुत्र दुलाराम एवं पिता श्री बेगराज पुत्र कानाराम बलाई को मौके पर माफिक रजिस्टर्ड बेचान दिनॉक 30.11.1967 के तहत सम्भला देने की पुष्टि तत्कालीन पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक की दिनॉक 07.01.1968 की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत हीराणी द्वारा राजू वल्द उदा रेगर के स्थान पर नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 201 दिनॉक 09.06.1968 स्वीकार कर जमाबंदी सम्वत 2027 से निरन्तर 2041 तक बहैसियत रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार की हक अधिकार अधीन दर्ज होती रही है और बहैसियत मूंग मोठ बाजरी आदि काश्त कर लगान राज्य सरकार को कृषक की हैसियत से अदा करते रहे है, इस दौरान प्रतिवादी उत्तरकर्ता के दादा व पिता ने सहायक कलक्टर परबतसर केम्प नावां के न्यायालय में विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या 431/84 प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय व आज्ञप्ति दिनॉक 06.01.1984 को जारी की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 621 दिनॉक 02.07.1985 दर्ज किया गया। उपरोक्त नामान्तरकरण बेचान व जमाबंदियों मे किये गये अमल दरामद के सम्बन्ध में वादी को शुरू से ही जानकारी व ज्ञान रहा है इसके बावजूद विहित अवधि में बेचान दिनॉक 30.11.1967 को वादी ने आज दिन तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवाया है एवं सहायक कलक्टर नावां के निर्णय व नामान्तरकरण को वादी नही कभी चुनौती नही दी है, अब दैराना युक्तियुक्त समयावधि के गुजर जाने के बाद वादी ने करीब 48 साल के बाद यह दावा प्रस्तुत किया है जो सन्धार्य नही है, वादी को विवादित आराजी में कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है और वादी का [illegible] अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर एक मात्र [illegible] की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं जागीर अधिनियम 1952 से [illegible] कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। जीवा पुत्र उदा का कभी कब्जा [illegible]त नही रहा है, नामा. संख्या 13 दिनॉक 26.06.1962 को जीवा पुत्र उदा कौम रेगर 25 बीघा की प्रविष्टि का राजस्व अभिलेख में गलत अंकन एवं विधि विरूद्व अंकन किया गया। वादी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दिनॉक 2.011.2007 को प्रस्तुत किया उसमें कथन किया कि उसके पिता जीवा का स्वर्गवास 13.06.1960 को हो गया था जिसकी सुनवाई किये बिना नामान्तरकरण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को स्वीकृत किया गया है वादी उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 13 दिनॉक 23.06.1962 में जीवा वल्द उदा के नाम के स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण स्वतः ही वाईड एवं इन्निश्यो है, इससे प्रमाणित है कि जीवा वल्द उदा का कब्जा काश्त नही था। वादग्रस्त भूमि सम्वत 2011 से रामदेव पुत्र कोजिया कुम्हार दीपपुरा वाले के नाम 3/4 हिस्सा नाथा पुत्र बगसा भांभी कुचामन का 1/4 हिस्सा का अंकन दर्ज था, तत्पश्चात सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 158 के जरिये राजू पुत्र उदा के नाम खातदारी में दर्ज हुआ, राजू वल्द उदा ने बहैसियत काश्तकार अपने खातेदारी अधिकार भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा जरिये दिनॉक 30.11.1967 को कानाराम एंव बेगाराम को हस्तानान्तरित किये , बेचान के जरिये नामान्तरकरण संख्या 201 दिनॉक 09.06.1968 राजू वल्द उदा के स्थान पर अमल दरामदगी कानाराम और बेगाराम के नाम स्वीकार होकर जो प्रतिवादी उत्तरकर्ता के दादा जी व पिता है इनका नाम खातेदारी में दर्ज होता रहा है। इसके बाद सहायक कलक्टर परबतसर नावां कोर्ट के वाद संख्या 431/83 अनुसार कानाराम पुत्र दुलाराम बेगाराम रामरूप सांवरमल प्रत्येक के 1/4 – 1/4 भूमि स्वीकृत करने की निर्णय व आज्ञप्ति 06.01.1984 को पारित हुई जिसके नामान्तरकरण संख्या 621 दिनॉक 06.01.1985 को स्वीकृत किया गया। प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा राजू वल्द उदा की खातेदारी देखकर ही भूमि जरिये बेचान 6000/– अदा कर अपने नाम क्रय की गई है, वादी को युक्ति युक्त समयावधि में वाद परिसीमा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अनुच्छेद 137 में तीन साल मियाद निर्धारित है दावा विधि विरूद्व है। प्रतिवादी ने विशेष कथन में अंकित किया है कि इन दी अलटरनेटिव विदाउट प्रीज्यूडिस *in the alternative without prejudice* यह अभिवाचित किया जाता है कि राज्य सरकार का खातेदार वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी असालतन काश्त धारा 5 (25) काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हो, वादी कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है। प्रतिवादीगण को बेचाननामा दिनांकित 30.11.1967 के जरिये नामान्तकरण संख्या 201 दि[illegible]किया गया है बेचाननामा आज भी प्रभाव में है इसलिए वादी का वा[illegible]किये जाने योग्य है, वादी का वाद युक्तियुक्त समयावधि से [illegible] बाद पेश किया गया है इसलिये खारिज किये जाने [illegible] काश्तकारी अधिनियम में रेकर्डेड खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी अधिका[illegible] बेचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है, गत खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी उत्तरकर्ता के दादा कानाराम व पिता बेगाराम ने ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा के दर्शनीय खातेदार अभिधारी विक्रेता राजू पुत्र उदा रेगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

कुचामन हाल मंगलपुरा के नाम की प्रविष्टि जमाबंदी में रेकर्डेड खातेदारी के नाम कब्जा काश्त की सावधानीपूर्वक देखकर सन्तुष्टि के बाद प्रचलित कीमत प्रतिफल राशि 6000/— रूपये राजू को अदा कर खातेदारी अधिकार व वास्तविक कब्जा प्राप्त कर सदभाविक खरीददार की हैसियत से काबिज है इसलिये वादी का वाद खारिज करने लायक है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई दोना पक्षो द्वारा अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार बहस सुनाई तथा अपना अपना पक्ष रखा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम दीपपुरा मिलान क्षेत्रफल नकल अनुसार गत खसरा नम्बर 7 से नये खसरा नम्बर 24 25 26 43 45 46 अंकित हुये, जमाबन्दी नकल सम्वत 2011—2014 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में रामदेव पुत्र कोजिया कौम कुम्हार सा. दीपपुरा 3/4 रूगनाथ पुत्र बगसा कौम भांभी 1/4 सा. कुचामन दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2019—2022 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में रामदेव पुत्र कोजिया कौम कुम्हार सा. दीपपुरा 3/4 रूगनाथ पुत्र बगसा कौम भांभी 1/4 सा. कुचामन दर्ज है तथा नामा. सं. 13 अनुसार पुरे खाते पर राजू पुत्र उदा 25 बीघा घीसा पुत्र भेरू 20 बीघा जीवा पुत्र उदा रेगर कुचामन व नामा. सं. 158 के अनुसार राजू पुत्र उदा रेगर पुरे नम्बर खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा अंकित है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2023—2026 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में राजू पुत्र उदा कौम रेगर सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2027—2030 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में कानाराम पुत्र दुलाराम बेगाराम पुत्र कानाराम कौम मेघवंशी सा. जिलिया खातेदार दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2034—2037 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में कानाराम पुत्र दुलाराम 1/2 बेगाराम पुत्र कानाराम 1/2 कौम मेघवंशी सा. जिलिया सा. देह खतोदार राहिन यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक कुचामन मूर्तहीन दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2038—2041 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में कानाराम पुत्र दुलाराम बेगाराम पुत्र कानाराम कौम मेघवंशी सा. जिलिया खातेदार दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008—2037 ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में रामदेव वल्द कोजिया कौम कुम्हार सा. दीपपुरा 3/4 रूगनाथ वल्द बगसा कौम भांबी सा. कुचामन 1/4 प्रविष्टि दर्ज है मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046—2065 ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 46, 327/21 कुल रकबा 14.04 हैक्टर में रामस्वरूप पुत्र कानाराम 1/4 बेगाराम पुत्र कानाराम 1/4 सांवरमल पुत्र कानाराम 1/4 कानाराम पुत्र दुलाराम 1/4 जाति मेघवंशी सा. जिलिया देह खातेदार दर्ज है। ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 46, 327/21 कुल रकबा 14.04 हैक्टर में रामस्वरूपप ुत्र कानाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

1/4 बेगाराम पुत्र कानाराम 1/4 सांवरमल पुत्र कानाराम 1/4 कानाराम पुत्र दुलाराम 1/4 जाति मेघवंशी सा. जिलिया हाल देह खातेदार राहीन खसरा नम्बर 24 25 43 45 337/21 में रामस्वरूप पुत्र कानाराम राहिन नागौर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा कुचामनसिटी मूर्तहीन दर्ज है तथा नामा.सं. 359 से रामस्वरूप का हिस्सा रहनमुक्त हुआ नामा. सं. 360 से रामस्वरूप बेगाराम सांवरमल का हिस्सा यूको बैंक कुचामनसिटी के नाम रहन दर्ज हुआ । नामा. सं. 13 में आर. टी.एक्ट की धारा 19 के तहत रामदेव वगैरह के स्थान पर राजू पुत्र उदा 25 बीघा घीसा पुत्र भैरू 20 बीघा जीवा वल्द उदा 25 बीघा कौम रेगर कुचामन दर्ज है, *नामा. सं. 158 से सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 में राजू वल्द उदा मे नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है,* नामा. सं. 201 राजू पुत्र उदा के स्थान पर कानाराम वल्द दूलाराम बेगराज वल्द कानाराम कौम बलाई सा. जिलिया का नाम जरिये बेचान दर्ज होकर स्वीकार हुआ है, बेचान दस्तावेज 30.11.1967 अनुसार राजू द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 6 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा का बेचान कानाराम वल्द दूलाराम बेगराज वल्द कानाराम कौम बलाई सा. जिलिया के पक्ष में 6000/– प्रतिफल प्राप्त कर सब रजिस्ट्रार नावां के कार्यालय में बेचाननामा निष्पादित कराया है। इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही श्रवणलाल पुत्र जीवा रेगर कुचामनसिटी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 158 की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के यहाँ प्रस्तुत की जो प्रकरण संख्या 54/2011 श्रवणलाल बनाम तहसीलदार नावां बेगाराम वगैरह दर्ज होकर सुनवाई पश्चात दिनॉक 15.04.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित अपील स्वीकार कर नामान्करकरण संख्या 158 खारिज किया गया तथा राजू पुत्र उदा द्वारा बेचान भूमि का सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही कराने के आदेश दिये गये। उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेंर के यहा पेश की गई जो प्रकरण संख्या 41/2015 दर्ज हुई तथा दिनॉक 28.01.2016 को निर्णय पारित कर अपील खारिज कर दी गई। उक्त प्रकरण की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई जो सांवरमल पुत्र स्व. कानाराम वगैरह बनाम श्रवणलाल पुत्र जीवा रेगर वगैरह के नाम से दर्ज हुई जिसमें दिनॉक 18.06.2019 को निर्णय पारित हुआ जिसके अनुसार अतिरिक्त संभागीय अजमेर न्यायालय (अपील सं. 41/2015 निर्णय दिनॉक 28.01.2016) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना की (अपील संख्या 54/2011 निर्णय दिनॉक 15.04.2015) को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को बहाल रखा जाकर निर्णय में उल्लेखित किया है कि श्रवणलाल बनाम बेगाराम का दावा संख्या 60/2013 दिनॉक 25.4.2004 वर्तमान में सहायक कलक्टर के यहॉ लम्बित है। जिसमें स्वतः व अधिकारों का निर्धारित होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

मुख्य परीक्षण में वादी चेताराम गोदपुत्र रूगनाथ के आम मुख्त्यार श्री श्रवणलाल उर्फ रामसिंह पुत्र जीवाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में जिरह के दौरान कथन किया है कि रूगनाथ के खाते की भूमि कहॉ कहॉ पर स्थित है न ही उनके बेटो का कभी कब्जा काश्त देखा है, खारिया के गत खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में 1/4 हिस्से पर चेताराम व उसके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नही देखा है न ही कभी लगान भरा है, सम्वत 2008–2027 तक के रेकार्ड की जानकारी मुझे नही है, यह बात सही है कि चेताराम कभी रूगनाथ के गोद गया ही नही, चेताराम अमराराम की इकलोती सन्तान थी, चेताराम रूगनाथ का गोदपुत्र बना यह गलत है, अणचीदेवी ने अमराराम से शादी की हो तो ध्यान नही है, नामान्तरकरण संख्या 201 को किसी भी न्यायालय में आजदिन तक निरस्त नही करवाया है, बेचान दिनॉक 30.11.1967 आज दिन तक प्रभावी है, रामस्वरूप, कानाराम, सांवरमल बेगाराम की ही भूमि क्रय दिन से इन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर आवासीय मकान कुआ इत्यादि है तथा 30–40 वर्षो पूर्व बिजली का कनेक्शन भी इन्ही के द्वारा लिया हुआ है, यह बात सही है कि चेताराम के पिता का नाम अमराराम उर्फ अमरचन्द ही है, सहायक कलक्टर न्यायालय के उक्त निर्णय की अपील आज दिन तक मेरे द्वारा कहीं पर भी नही की गई है, यह बात सही है कि प्रतिवादी एंव उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त पिछले 54 वर्षो से लगातार चला आ रहा है, उक्त भूमि पर वादी एवं उसके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नही रहा है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है वादी द्वारा अपने आपको रूगनाथ के परिवार का हिस्सा बताते हुये रूगनाथ का गोदपुत्र होना अंकित किया है, परन्तु ऐसा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे वंशावली एवं वादी का गोदपुत्र होना साबित होता हो, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादी के विरूद्व दस्तावेजी साक्ष्य राजकीय सूरजमल भोमराजका माध्यमिक विद्यालय कुचामनसिटी के जन्म प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम अमरचन्द अंकित किया है तथा वादी की जन्म तिथि 05.09.1952 अंकित है, नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा जारी 26.10.1985 को व्यवसायिक भूखण्ड में भी वादी की वल्दियत अमराराम अंकित है, कि वादी का प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है तथा नही वादी के पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त रहा [illegible] की पुष्टि वादी के आम मुख्त्यार श्रवणलाल के द्वारा जिरह के [illegible] पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही [illegible] द्वारा नामान्तरकण संख्या 158 की अपील माननीय न्यायालय अति. जिला कल[illegible]र डीडवाना एवं माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त अजमेंर के यहॉ प्रस्तुत की गई जिनको माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा अपने निर्णय दिनॉक 18.06.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वादी द्वारा वाद संख्या 431/1983 मे पारित निर्णय एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री दिनॉक 06.01.1984 की अपील नही की गई है जो आज दिन भी प्रभावी है तथा विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना नामान्तरकण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को काफी समय बाद चुनौती देने पर निरस्त किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर ने ही गैर कानूनी एवं न्यायहित में सही नही माना है। वादी के आम मुख्त्यार श्रवणलाल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण जिरह में वादग्रस्त की भूमि को पहचानने एवं उनके पूर्वजो तथा उनके पश्चात उनका कब्जा काश्त नही रहना एवं नही होना भी इस बात की तस्दीक करता है कि वादी द्वारा वाद पत्र केवल मात्र मनगढ़त तथ्यो एवं काल्पनिक बनावटी आधार पर प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को प्रताड़ित करना पाया जाता है, प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनॉक 30.11.1967 के दिन से ही निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के शपथ–पत्र एवं विभिन्न न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व पारित आदेश इत्यादि से होती है। साथ ही प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की पुष्टि उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न बैंको से कृषि भूमि में सुधार कार्य हेतु ऋण लेने एवं उनके द्वारा समय पर पुनः बैंको के ऋण को चुकता करने से होती है, वरवक्त बेचान से उनके पक्ष में नामान्तरकरण होना इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके पर जाकर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होने के पश्चात ही नामान्तरकरण उनके पक्ष में तस्दीक किया जाकर स्वीकार किया है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से, वादी का किसी भी विधिक दस्तावेज से गोदपुत्र साबित नही होने एवं वाद पत्र किसी भी दृष्टि से साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 25/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 61/2013 **RCMS 2013/00056**

वादी

1. चेताराम गोदपुत्र रूगनाथ/रूघनाथ जाति भांभी मेघवाल साकिन दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बेगाराम पुत्र कानाराम उम्र 63 वर्ष जाति मेघवंशी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– गंगा पत्नी बेगाराम
   1/2– भंवरलाल पुत्र बेगाराम
   1/3– बिदामी पुत्री बेगाराम
   1/4– मन्जू देवी पुत्री बेगाराम
   1/5– राधा पुत्री बेगाराम
   1/6– सन्तोष पुत्री बेगाराम
   1/7– रामप्यारी पुत्री बेगाराम
2. रामस्वरूप पुत्र कानाराम उम्र 62 वर्ष
3. सांवरमल पुत्र कानाराम उम्र 61 वर्ष
4. लिछमा पुत्री कानाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी पांचवा रोड़ दीपपुरा
5. नन्दाराम पुत्र राजू जाति रेगर निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर नागौर
7. उप पंजियक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी

दावा पत्र बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती,शून्य घोषित करने बेचान दिनॉक 30.11.1967 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, धारा 92, धारा 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मो.हनीफ, श्री रमेश चौधरी, श्रीराम अधिवक्ता हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी साबित नही हाने से खारिज किया जाता है।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....
(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ता		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested